



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082021-228684
CG-DL-E-02082021-228684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2871]
No. 2871]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2021/श्रावण 11, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2021/SHRAVANA 11, 1943

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3093(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “वर्धा-नांदेड़ (वाया येवतमाल-पुसूद)” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु वर्धा, येवतमाल, वसीम, हिंगोली और नांदेड़ जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. जी 197/2021/जीओएम/1]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd August, 2021

S.O. 3093(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “Wardha- Nanded (via Yevatmal-Pusood)” project under **Special Railway Project** for acquisition of land in Wardha, Yavatmal, Wasim,

Hingoli & Nanded District in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G 197/2021/GOM/1]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)

अधिसूचना

मुंबई, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3094(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “**वर्धा (सेवाग्राम) - नागपुर तीसरी लाइन**” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु वर्धा और नागपुर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबन्धित करने हेतु, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. जी 197/2021/जीओएम/2]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd August, 2021

S.O. 3094(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “**Wardha (Sewagram)- Nagpur 3rd line**” project under **Special Railway Project** for acquisition of land in Wardha & Nagpur District in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G 197/2021/GOM/2]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)

अधिसूचना

मुंबई, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3095(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “**इटारसी- नागपुर शेष तीसरी लाइन**” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु नागपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबन्धित करने हेतु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. जी 197/2021/जीओएम/3]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd August 2021

S.O. 3095(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “**Itarsi- Nagpur balance.3rd line**” project under **Special Railway Project** for acquisition of land in Nagpur, Chindwara, Betul & Hoshangabad District in the State of Maharashtra & Madhya Pradesh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G 197/2021/GOM/3]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)

अधिसूचना

मुंबई, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3096(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37) क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “**वर्धा-बल्लारशाह तीसरी लाइन**” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु वर्धा और चंद्रपुर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. जी 197/2021/जीओएम/4]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd August, 2021

S.O. 3096(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “**Wardha- Ballarshah 3rd line**” project **Special Railway Project** for acquisition of land in Wardha & Chandrapur District in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G 197/2021/GOM/4]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)

अधिसूचना

मुंबई, 2 अगस्त, 2021

का.आ. 3097(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37) क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “**वर्धा-नागपुर चौथी लाइन**” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु वर्धा और नागपुर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. जी 197/2021/जीओएम/5]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd August, 2021

S.O. 3097(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “**Wardha- Nagpur 4th line**” project under **Special Railway Project** for acquisition of land in Wardha & Nagpur District in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G 197/2021/GOM/5]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)